

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 1, 1969/वैष 11, 1890

No. 2] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 1, 1969/PAUSA 11, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 1st January 1969

S.O. 75.—Whereas a vacancy has occurred in the House of the People consequent on the election of Shri Ram Kishan from 6, Hoshiarpur Parliamentary Constituency in the State of Punjab having been declared void;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 149 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby calls upon the said constituency to elect before the 14th February, 1969, in accordance with the provisions of the said Act and of the Rules and Orders made thereunder, a person to fill the vacancy so caused.

[No. 100/PB/HP/1/68(1).]

S.O. 76.—In pursuance of the provisions of section 30 of the Representation of the People Act, 1951, (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints, with respect to the bye-election to be held in 6, Hoshiarpur Parliamentary Constituency in the State of Punjab in pursuance of its notification No. 100/PB/HP/1/68(1), dated the 1st January, 1969—

- (a) the 8th January, 1969, as the last date for making nominations;
- (b) the 9th January, 1969, as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) the 11th January, 1969, as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 9th February, 1969, as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 14th February, 1969, as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/PB/HP/1/68(2).]

S.O. 77.—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby fixes the hours from 8 A.M. to 5 P.M. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the bye-election to the House of the People from 6, Hoshiarpur Parliamentary Constituency to be held in pursuance of its notification No. 100/PB/HP/1/68(1), dated the 1st January, 1969.

[No. 100/PB/HP/1/68.(3).]

By Order,

K. S. RAJAGOPALAN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 1 जनवरी 1969

एस० ओ० 78.—पंजाब राज्य में के सं० 6 होशियारपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से श्री राम किशन का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिए जाने के परिणामस्वरूप लोक सभा में एक स्थान रिक्त हो गया है;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 की उप-धारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा, उक्त निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि वह ऐसे से हुई रिक्ति को भरने के लिए, उक्त अधिनियम तथा तद्वर्धन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार, एक व्यक्ति 14 फरवरी, 1969 से पूर्व निर्वाचित करें।

[सं० 100/पंजाब/लो० सं०/1/68(1).]

एस० ओ० 79.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 30 के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/पंजाब/लो० सं० 1/68 (1) दिनांक 1 जनवरी, 1969 के अनुसरण में पंजाब राज्य में के सं० 6 होशियारपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले उप-निर्वाचन के बारे में—

(क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख 8 जनवरी, 1969;

(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख 9 जनवरी, 1969;

(ग) अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए अन्तिम तारीख, 11 जनवरी, 1969;

(घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हो, तो मतदान होगा—9 फरवरी, 1969; तथा

(ङ) वह तारीख जिस के पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा 14 फरवरी, 1969; एतद्वारा नियत करता है।

[सं० 100/पंजाब/लो० सं०/1/68(2).]

एस० ओ० 80.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/पंजाब/लो० सं०/1/68 (1) दिनांक

1 जनवरी, 1969 के अनुसरण में लोक सभा के लिए सं० 6 होशियारपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से होने वाले उप-निर्वाचन के लिए 8 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्द्वारा नियत करता है जिसके दौरान मतदान, यदि आवश्यक हो तो, होगा।

[सं० 100/पंजाब/लो० सं०/1/68(3).]

आदेश द्वारा,
के० एस० राजगोपालन, सचिव।

